संख्या-आडिट-1/2017/1-358/दस-2017-317(2)/2015

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0
नवां तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-1 लखनऊ :: दिनांक 20 अप्रैल, 2017

विषय :- वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए आय व्ययक में अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष-2425-सहकारिता-101 सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा-03-सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान में प्राविधानित धनराशि को निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2017-18 के लेखानुदान अवधि (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) के लिए आय व्ययक में अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्ष-2425-सहकारिता-101 सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा-03-सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान के मद में प्राविधानित धनराशि (मानक मद-52 को छोड़कर) रूपये 1,40,47,35,000/- (रूपये एक अरब, चालिस करोड़, सैतालिस लाख, पैतिस हजार मात्र) के सापेक्ष धनराशि रूपये 58,38,08,000/- (रूपये अट्ठावन करोड़ अडतिस लाख आठ हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

( हजार रूपये में )

| लेखा शीर्ष | वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए पाश्वार्ंकित मदों में प्राविधानित धनराशि | वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम पॉच माहों (अप्रैल से अगस्त, 2017 तक) लिए स्वीकृत की जाने वाली धनराशि |
|---|---|---|
| राजस्व लेखा | | |
| 2425-सहकारिता-101 सहकारी समितियों की | | |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

| लेखा परीक्षा-03-सहकारी लेखा परीक्षा अधिष्ठान | | |
|---|---|---|
| 01- वेतन | 1207900 | 503292 |
| 02- मजदूरी | 1800 | 750 |
| 03- मंहगाई भत्ता | 60395 | 25165 |
| 04- यात्रा व्यय | 7000 | 2917 |
| 05- स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 1500 | 625 |
| 06- अन्य भत्ते | 60000 | 25000 |
| 07- मानदेय | 100 | 42 |
| 08- कार्यालय व्यय | 8000 | 3333 |
| 09- विद्युत देय | 2000 | 833 |
| 10- जलकर/जल प्रभार | 50 | 21 |
| 11- लेखन सामाग्री और फार्मों की छपाई | 4000 | 167 |
| 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 8000 | 3333 |
| 13- टेलीफोन पर व्यय | 2000 | 833 |
| 14- मोटर गाडियों का क्रय | 1000 | 417 |
| 15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 5000 | 2083 |
| 16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 1000 | 417 |
| 17- किराया उप शुल्क और कर स्वामित्व | 6000 | 2500 |
| 19- विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 500 | 208 |
| 26- मशीने और सज्जा/उपकरण संयन्त्र | 2000 | 833 |
| 42- अन्य व्यय | 100 | 42 |
| 44- प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 1000 | 417 |
| 45- अवकाश यात्रा व्यय | 300 | 125 |
| 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ़टवेयर का क्रय | 10000 | 4167 |
| 47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 3000 | 1250 |
| 49- चिकित्सा व्यय | 12000 | 5000 |
| 51- वर्दी व्यय | 90 | 38 |
| योग | 1404735 | 583808 |

(रूपये अट्ठावन करोड़ अडतिस लाख आठ हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- धनराशियों का व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017 दिनांक 02 जनवरी, 2017 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-3/2017/बी-1-348/दस-2017 दिनांक 20 मार्च, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उपरोक्तानुसार प्रारविधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एर्लाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

4- यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय, तो सन्दर्भित व्यय के लिए आय व्ययक में प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखा शीर्ष का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाय।

5- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

भवदीया,

उमा द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या-आडिट-1-358(1)/दस-2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
(6) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in